भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1282

जिसका उत्तर दिनांक 09.12.2021 को दिया जाना है

परमाणु अपशिष्ट भंडार के लिए वैकल्पिक अवस्थिति

1282 डा. अंबुमणि रामादॉस :

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास तमिलनाडु में कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत-परियोजना की तीसरी और चौथी इकाइयों के लिए संयंत्र परिसर के भीतर परमाणु अपशिष्ट भंडार के लिए प्रस्तावित अवस्थिति के अलावा कोई वैकल्पिक प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को परमाणु अपशिष्ट को कुडनकुलम परिसर में ही रखे जाने पर लोगों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को होने वाले बड़े खतरों और जोखिमों के बारे में जानकारी है; और

(घ) यदि हाँ, तो समाधानों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह) :

(क) जी, नहीं ।

(ख) भुक्तशेष (प्रयुक्त) नाभिकीय ईंधन नाभिकीय अपशिष्ट नहीं है, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन है जिसका कार्यक्रम के अगले चरण के लिए ईंधन और अन्य मूल्यवान रेडियोआइसोटोप प्राप्त करने के लिए पुनर्संसाधन किया जाता है । जब तक भुक्तशेष ईंधन को पुनर्संसाधन के लिए पुनर्संसाधन सुविधा में भेज नहीं दिया जाता है तब तक इसका भंडारण रिएक्टर बिल्डिंग/सर्विस बिल्डिंग के अंदर किया जाता है जिसे सामान्यतः भुक्तशेष ईंधन भंडारण पूल/बे के नाम से जाना जाता है और संयंत्र परिसर के अंदर 'रिएक्टर से दूर' (एएफआर) भुक्तशेष ईंधन भंडारण सुविधा में किया जाता है ।

(ग) तथा (घ) कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना के परिसर में भुक्तशेष (प्रयुक्त) ईंधन के भंडारण की सुविधाएं भूकंप और सुनामी जैसी बड़ी प्राकृतिक घटनाओं को रोकने के लिए संरक्षा के व्यापक दृष्टिकोण से अभिकल्पित की गई हैं जिसमें संरक्षित, सही और विश्वसनीय निष्पादन के लिए बृहत् प्रचालनरत संरक्षा पहलुओं के प्रावधान हैं । इन्हें इस प्रकार अभिकल्पित किया गया है कि यह सुनिश्चित हो सके कि संयंत्र कार्मिक, सामान्य जनता या पर्यावरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

* * * * *